न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 10/2026
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2026/45

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मधुदेवी पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासी ए 322 शिल्पग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर		1.केसीदेवी पुत्री हरचन्दराम 2.गेरीदेवी पुत्री हरचन्दराम 3.केसीदेवी पत्नि गजेन्द्रकुमार 4.दौलजीराम पुत्र मनीश कुमार नाबालिग जरिए कुदरती वली पिता मनीश कुमार पुत्र रूपाराम 5.पंकज चौधरी पुत्र मनीश कुमार नाबालिग जरिए कुदरती वली पिता मनीश कुमार पुत्र रूपाराम 6.विक्रम चौधरी पुत्र मनीश कुमार नाबालिग जरिए कुदरती वली पिता मनीश कुमार पुत्र रूपाराम 7.मनीश कुमार पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी मिठीबेरी तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 8.निम्बाराम पुत्र उदाराम 9.मूलाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी परेऊ तहसील गिड़ा व जिला बालोतरा 10.इमरती देवी पत्नि गेनाराम 11.किसनाराम पुत्र वागाराम 12.गेरोदेवी पत्नि निम्बाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली माता जमना देवी पत्नि निम्बाराम 13.गोदुराम पुत्र बागाराम 14.चुतराराम पुत्र नारणाराम 15.तिलाराम पुत्र नारणाराम 16.देदाराम पुत्र मगनाराम 17.नेनुदेवी पत्नि बागाराम 18.भंवरी देवी पत्नि नारणाराम 19.रेंवताराम पुत्र नारणाराम 20.राणाराम पुत्र गोकलाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

21.रामाराम पुत्र निम्बाराम के कायम मुकामः–

21/1.पारुदेवी पत्नि रामाराम

21/2.खेताराम पुत्र रामाराम

21/3.भोमाराम पुत्र रामाराम

21/4.कुम्भाराम पुत्र रामाराम

21/5.जसुराम पुत्र रामाराम

21/6.राजो पुत्री रामाराम

22.लालाराम पुत्र बागाराम

23.लिखमाराम पुत्र गेनाराम

24.बालाराम पुत्र नारणाराम
जाति जाट निवासी कालेवा
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

25.कमला पुत्री रूपाराम

26.जोगाराम पुत्र लुम्बाराम

27.देदाराम पुत्र लुम्बाराम

28.नोजीदेवी पत्नि लुम्बाराम
जाति जाट निवासी मिठीबेरी
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

29.शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

30.शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक शाखा पचपदरा

31.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पाटोदी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 10/2026
मधुदेवी बनाम केसीदेवी वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री करणसिंह सोलंकी व श्री वगताराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री बाबुलाल सांखला,अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 30

3.विप्रार्थी संख्या 1 से 29 व 31 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 24/04/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 577/126 रकबा 2.5859 हैक्टेयर भूमि** अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 577/126 रकबा 2.5859 हैक्टेयर** भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री बाबुलाल सांखला की ओर से विप्रार्थी संख्या 30 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 29 व 31 को विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 577/126 रकबा 2.5859 हैक्टेयर** भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवाद करते रहते है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम **मीठीबेरी,पट्वार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 577/126 रकबा 2.5859 हैक्टेयर** भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 30 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से आवेदन पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीनी की ओर से रहन भूमि कितनी है,इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा विवादित भूमि रहन मुक्त नही होने तक नेखमबंदी नही करवाए जा सकती है। अतं में निवेदन किया कि प्रार्थी का का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम **मीठीबेरी,पट्वार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 577/126 रकबा 2.5859 हैक्टेयर**,भूमि प्रार्थीनी खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद**-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक [illegible].12.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 10/2026
मधुदेवी बनाम केसीदेवी वगैरा

-ःआदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम **मीठीबेरी,पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 577/126 रकबा 2.5859 हैक्टेयर**,भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है।

24/04/2026
(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.04.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

24/04/202
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा